न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी—मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या— 2021/65

बिशनलाल पुत्र नारायण जाति बैरवा निवासी ग्राम नवलपुरा, तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी(राज0)।

— अपीलांटगण

बनाम

1. बजरंगलाल पुत्र नारायण जाति बैरवा निवासी नवलपुरा, तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी(राज0)।
2. लड्डू पुत्र जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी नवलपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी(राज0)।
3. बाबू पुत्र जगन्नाथ मृतक के बजाय—

    3/1. कन्या बेवा बाबू निवासी नवलपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी(राज0)।

    3/2. राजेश पुत्र बाबू निवासी नवलपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी(राज0)।

    3/3. देशराज पुत्र बाबू निवासी नवलपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी(राज0)।

    3/4. सुनीता पुत्री बाबू पत्नी प्रहलाद निवासी रमजपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी(राज0)।

    3/5. राजकरन्ता पुत्री पत्नी अमरचन्द बाबू निवासी बाबई तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी(राज0)।

4. बरज्या उर्फ बृजमोहन पुत्र जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी नवलपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी(राज0)।
5. सुरज्या उर्फ सुरजमल पुत्र जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी नवलपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी(राज0)।

6. प्रेमबाई पुत्री जगन्नाथ पत्नी स्व0 गंगाधर जाति बैरवा निवासी स्टार पब्लिक की गली, प्रेमनगर प्रथम, कोटा जिला कोटा(राज0)।
7. मूर्ति बाई पुत्री जगन्नाथ पत्नी गोरधन जाति बैरवा निवासी लाडाहली तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
8. मोत्या बाई (मृतक) बेवा श्री जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी नवलपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी(राज0)। (नाम तर्क किया गया)
9. प्रबंधक, बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सुमेरगंजमण्डी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)।
10. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी(राज0)।

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–1.राजकुमार मीना– अधिवक्ता अपीलांट
2.प्रेमशंकर गूर्जर– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3.पैरोकार सरकार– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 10

निर्णय **दिनांक 21.02.2023**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 74/दावा/2010 मे पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम नवलपुरा तहसील इन्द्रगढ़ की खाता संख्या 33 मे दर्ज खसरा संख्या 284 रकबा 0.79 हैक्टेयर, खसरा संख्या 486 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा सख्या 488 रकबा 2.62 हैक्टेयर , खसरा सख्या 488/725 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा संख्या 489 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा संख्या 490 रकबा 0.64 हैक्टेयर, कुल किता 6 कुल रकबा 4.34 हैक्टेयर स्थित है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 की संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात मे वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा तथा अपीलांटगण प्रतिवादीगण

संख्या 2 से 8 का 1/3 हिस्सा निहित होकर दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात मे सभी सहखातेदार मौके पर आपसी बंटवारे अनुसार पिछले कई वर्षो से अपने-अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा अपने-अपने हिस्से की भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग उपभोग कर रहे है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात मे वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/3 हिस्सा आपसी बंटवारे मे खसरा संख्या 488 रकबा 2.62 हैक्टेयर मे मौजूद है। इसके अतिरिक्त खसरा संख्या 486 मे ही वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपने जानवरों को भी बांधता है। वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपने हिस्से की कृषि भूमि मे कुंआ खुदवा रखा है जिसमे विद्युत मोटर लगी हुई है, वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक बोरिंग भी करवा रखा है तथा वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से विद्युत कनेक्शन भी हो रहा है। कुएं पर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का स्वयं का पक्का मकान बना हुआ है। अन्त मे उक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात मे वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त वाले 1/3 हिस्से को पृथक से राजस्व रेकॉर्ड मे वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज किये जाने एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 4, 5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण संख्या 3, 6 से 10 को बावजूद सूचना अनुपस्थित होना बताकर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश प्रदान किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 4, 5 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षकारान के अभिवचनों के अनुसार पत्रावली मे तनकीयात कायम की गई। उभय पक्षकारान की साक्ष्य ली गई। दिनांक 29.05.2015 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प मे रखे जाने हेतु नियत की गई जिसके लिये आगामी तारीख पेशी दिनांक 07.07.2015 नियत की गई। दिनांक 07.07.2015 को लोक अदालत के तहत राजीनामे के अनुसार प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की जाकर तहसीलदार इन्द्रगढ़ को पालना रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेशित किया गया। दिनांक 05.06. 2017 को तहसीलदार इन्द्रगढ़ से प्राप्त प्राथमिक बंटवारा रिपोर्ट के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात के विभाजन की अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित की गई।

4. अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2017 से असंतुष्ट होकर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रथम अपील न्यायालय हाजा मे मियाद बाहर प्रस्तुत की गई। मियाद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित

रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 10 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

5. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय मे वादग्रस्त आराजीयात के संबंध मे बंटवारे व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया। वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट के हिस्से एवं कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन नवीन रास्ता निकालना चाहता है, ताकि वह अपीलांट की भूमि को खराब कर सके तथा उसकी फसल को बर्बाद कर सके, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट को उसके हिस्से एवं कब्जे की भूमि पर आने–जाने के लिए कदीमी रास्ता पहले से मौजूद है, जो राजस्व अभिलेख मे खसरा संख्या 657 गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे दर्ज है। अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 के जवाबदावे मे अंकित उक्त कथन को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजरअंदाज किया जाकर निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.07.2015 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की जाकर वादग्रस्त आराजीयात का राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 को मध्य नजर रखते हुए उभय पक्षकारान को तलब किया जाकर उनकी उपस्थिति मे बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत तहसीलदार इन्द्रगढ़ को बंटवारा कमिश्नर नियुक्त किया गया। पक्षकारान के मध्य नया रास्ता निकालने संबंधी कभी भी कोई लिखित राजीनामा नहीं हुआ परन्तु फिर भी फर्जी राजीनामा के आधार पर डिक्री पारित कर दी जबकि वास्तुस्थिति यह है कि अपीलार्थी ने लिखित मे पेश राजीनामा पर अंगूठा निशान नहीं लगाया बल्कि उसने प्रत्येक कागज पर हस्ताक्षर किये है। इस तरह वाद मे पक्षकारान के मध्य नया रास्ता निकाले जाने के संबंध मे फर्जी लिखित राजीनामा के आधार पर निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने संक्षिप्त जांच के बिना 10

फीट चौडा नया रास्ता निकाले जाने की डिक्री पारित की है जबकि नया रास्ता निकालने की आत्यान्तिक आवश्यकता होनी चाहिए न कि मात्र सुविधाजनक स्थिति के लिए। साथ ही नवीन रास्ते के मामले मे वैकल्पिक मार्ग का अभाव होना चाहिए। परन्तु वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उसके हिस्से मे आई भूमि पर आने-जाने के लिये वैकल्पिक रास्ता खसरा सख्या 675 गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे उपलब्ध है, और नवीन रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता भी नहीं है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित की है जो अपास्त किये जाने योग्य है। वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा राजीनामा तैयार करवाकर उप पर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 के प्रतिरूपण से अंगूठे का निशान लगवाया गया। प्रतिरूपण द्वारा अंगूठे का निशान लगाते समय वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उपस्थित था। तत्पश्चात वह राजीनामा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया, जिसके आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी को खसरा संख्या 487/2 रकबा 0.22 हैक्टेयर भूमि मे से जो भैरू पुत्र शंकर गूर्जर के मध्य मेड के सहारे-सहारे लगभग 10 फीट नया रास्ता निकालकर उसको अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से की भूमि खसरा संख्या 488 तक जाने के लिये 10 फीट चौड़ा रास्ता निकालने की अन्तिम डिक्री पारित कर दी जिसकी इजराय मौके पर ही कर राजस्व रेकॉर्ड मे नामान्तरण संख्या 542 दिनांक 05.06.2017 इन्द्राज कर दिया गया , जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 487/2 और उसके हिस्से की भूमि खसरा सख्या 488/725 मे से 10 फीट चौड़ा नया रास्ता प्राप्त करने का हकदार नहीं है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। वादग्रस्त आराजीयात का बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा स्वयं तैयार नहीं किया जाकर अपीलांट की गैर मौजूदगी मे भू-अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है। उक्त विधि विरूद्ध तैयार विभाजन प्रस्ताव को तहसीलदार इन्द्रगढ़ मे अधीनस्थ न्यायालय मे प्रेषित किया, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजीयात के विभाजन की अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। वादग्रस्त आराजीयात के विभाजन के फलस्वरूप विभाजन की गई भूमि की वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने पक्का मकान बना रखा है, जिसमे दो कमरे व दो बरामदे है तथा इसमे मकान एवं बाड़े से घिरी हुई भूमि भी सम्मिलित है और वह खसरा संख्या 486 की भूमि अपीलार्थी के हिस्से मे आई है। ऐसी भूमि की सीमा और उसका भाटक निर्धारित कर मकानों एवं बाडे के स्वामी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को खसरा संख्या 486 की भूमि मे से हटाकर उसको विभाजन मे उसके हिस्से की भूमि मे मकान एवं बाडा बनाने हेतु निर्देश दिया जाना चाहिए था। परन्तु मौका स्थल पर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 को अभी तक खसरा संख्या 486 की भूमि का पूर्ण रूप से रिक्त कब्जा नहीं दिलाया गया।

ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय मे न तो अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया और न ही लिखित राजीनामा को विधिवत तस्दीक किया गया। परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामे के आधार पर निर्णय व डिक्री पारित कर दी जो खारिज किये जाने योग्य है। अन्तिम डिक्री की जानकारी हमें उस समय हुई जब पटवारी हल्का ने दिनांक 21.02.2021 को बताया कि उनकी भूमि का अन्तिम बंटवारा करके नया रास्ता निकालने का आदेश दिया गया है। मैने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम अपील मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु प्रस्तुत किया है। धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जावे। अन्त मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2017 को खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

6. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से वादग्रस्त आराजीयात के बंटवारे व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा प्रस्तुत किया । उभय पक्षकारान के अभिवचनों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की गई। तत्पश्चात उभय पक्षकारान की साक्ष्य ली गई। दिनांक 07.07.2015 को लोक अदालत के तहत उभयपक्षकारान के मध्य राजीनामा प्रस्तुत हुआ । उक्त राजीनामे पर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 बजरंगलाल के हस्ताक्षर है। उक्त राजीनामे के आधार पर लोक अदालत के तहत वादग्रस्त आराजीयात के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की जाकर तहसीलदार इन्द्रगढ़ को वादग्रस्त आराजीयात का विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु आदेशित किया गया। अधिवक्ता अपीलांट का यह तर्क मान्य नहीं है कि अपीलांट किशनलाल केवल हस्ताक्षर करता है, अपीलांट की उम्र अधिक है तथा हस्ताक्षर से भी यह स्पष्ट प्रतीत होता है। अतः अपीलांट के अंगूठा निशान भी लगाए है। अन्य प्रपत्र व आदेशिका पर अपीलांट के हस्ताक्षर किये है। यदि अपीलांट के साथ कोई छल, धोखा–धड़ी हुई है तो संबंधित के विरूद्ध कोई एफ0आई0आर0 का मुकदमा दर्ज करवाते। अपीलांट के मन मे अब बदनियति आ गई है, इनके साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। लोक अदालत मे स्वयं इन्होने उपस्थित होकर सहमति दी है। प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.07.2015 व अंतिम डिक्री दिनांक 05.06.2017 दोनो की मौके पर पालना हो चुकी है। इतने वर्षो बाद अपील करने का अब कोई औचित्य नहीं है। प्रकरण मे अब कुछ शेष नहीं

है। इतने वर्षो बाद मियाद के बिन्दु पर ही अपील ग्रहण योग्य नहीं है। मियाद के बाहर अपील स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं है। यह अविश्वसनीय व मनगढ़न्त है कि उन्हे पटवारी हल्का से दिनांक 21.02.2021 को डिक्री की जानकारी हुई। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट की सहमति से निर्णय व डिक्री पारित हुई है तथा प्रारंभ से ही अपीलांट को निर्णय व डिक्री की जानकारी थी। प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। उक्त विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक निर्णय व डिक्री के अनुसार होने एवं राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार इन्द्रगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत है। अन्त मे अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किये जाने का निवेदन किया।

7. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्वक मनन किया। सर्वप्रथम प्रकरण मे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनिमय को निर्णित किया जाना उचित होगा। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की समयावधि 60 दिवस निर्धारित की गई है। अपीलांट ने विलम्ब की अवधि को क्षम्य करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। मियाद के बिन्दु के सन्दर्भ मे प्रथम दृष्ट्या गुणावगुण पर भी क्या महत्वपूर्ण तथ्य है, उन्हे भी विवेचित किया जाना उचित होगा। अपील मे अपीलांट का मुख्य कथन यह रहा है कि उसने अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत राजीनामे पर अंगूठा निशानी नहीं लगाई है अपितु उसने प्रत्येक कागज पर स्वयं के हस्ताक्षर किये है, अतः रास्ता निकालने संबंधी राजीनामा फर्जी है तथा उसने यह राजीनामा नहीं किया । अपीलांट ने आगे कथन किया है कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खेतों मे आने–जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता खसरा संख्या 675 गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे उपलब्ध है। हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली मे लोक अदालत मे राजीनामा करने हेतु दिनांक 07.07.2015 का आवेदन पत्र संलग्न है, जिस पर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 बिशनलाल के हस्ताक्षर है। राजीनामा प्रपत्र–4 पर भी अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 बिशनलाल के हस्ताक्षर है। आदेशिका दिनांक 07.07.2015 पर भी अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 बिशनलाल के हस्ताक्षर है। अगर अपीलांट का यह

तर्क माना भी जाए कि पत्रावली मे अलग से संलग्न राजीनामे पर उसके अंगूठा निशानी नहीं है तो भी प्रस्तुत राजीनामा प्रपत्र एवं आदेशिका मे भी रास्ते के विवाद पर सहमति के संबंध मे अंकन है। हालांकि राजीनामा पत्रावली मे संलग्न है वह भी दिनांक 07.07.2015 का ही है। अतः पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों एवं आदेशिका दिनांक 07.07.2015 से स्पष्ट है कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के मध्य लोक अदालत की भावना से प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.07.2015 जारी की गई। निर्णय दिनांक 07.07.2015 मे भी सहमति का पूर्ण अंकन है। अतः हमारे विनम्र मत मे दिनांक 07.07.2015 के अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की सम्पूर्ण जानकारी अपीलांट को थी तथा उसने इस पर अपनी सहमति दी थी। प्रकरण मे अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2017 को पारित की गई। राजीनामा प्रपत्र एवं आदेशिका पर अपीलांट बिशनलाल स्वयं के हस्ताक्षर है। अतः लोक अदालत की भावना से किये गए राजीनामे से बाद मे इंकार करना उचित नहीं है। प्राथमिक निर्णय व डिक्री के आधार पर तैयार बंटवारा रिपोर्ट पर बिशनलाल की अंगूठा निशानी अंकित है, अपीलांट का कथन है कि यह अंगूठा निशानी बिशनलाल की नहीं है। परन्तु हमारे मतानुसार अपीलांट को समय–समय पर अपने अधिवक्ता के माध्यम से वाद की जानकारी लेनी चाहिए। इससे यह प्रतीत होता है कि अपीलांट प्राथमिक निर्णय व डिक्री से सहमत था। राजस्व लोक अदालत के तहत पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री मे अपीलांट राजस्व लोक अदालत मे उपस्थित था, अतः यह नही माना जा सकता है कि अपीलांट को प्रश्नगत निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थी। अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2017 को पारित की गई। जब अपीलांट स्वयं अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार थे तो उन्हे सम्पूर्ण प्रकरण की जानकारी समय–समय पर लेनी चाहिए। दिनांक 21.02.2021 को पटवारी हल्का से जानकारी प्राप्त होने के तथ्य का कोई ठोस एवं पर्याप्त आधार नहीं है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट के अधिवक्ता एवं स्वयं अपीलांट उपस्थित हुए है। अतः निर्णय व डिक्री दिनांक 07.07.2015 एवं निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2017 से दिनांक 21.02.2021 तक की अवधि को कण्डोन करने का कोई पर्याप्त व संतोषजनक कारण नहीं है। प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 07.07.2015 के लगभग 5 वर्ष 8 माह तथा अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2017 के लगभग 3 वर्ष 9 माह पश्चात् अपील करने मे हुए विलम्ब का कोई ठोस एवं पर्याप्त आधार अपीलांट ने प्रस्तुत नहीं किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील करने की समयावधि 60 दिवस निर्धारित है।अपीलांट का विरोध प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 07.07.2015 से भी है। हमारे मतानुसार उक्त प्राथमिक निर्णय व डिक्री लोक अदालत मे अपीलांट की सहमति से पारित हुई है। अपीलांट ने लगभग 5 वर्ष 8 माह तक प्राथमिक निर्णय व डिक्री पर कोई

आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध लगभग 5 वर्ष 8 माह बाद आपत्ति प्रस्तुत की गई है। अंतिम डिक्री दिनांक 05.06.2017 की अपीलं लगभग 3 वर्ष 9 माह पश्चात प्रस्तुत की है। अपीलांट को वाद मे हुए निर्णय एवं डिकी की जानकारी भी थी, ऐसी स्थिति मे इतने वर्षो बाद अपील प्रस्तुत करने के कारण अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मे वर्णित तथ्य पर्याप्त एवं संतोषजनक नहीं होने से अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम अस्वीकार किया जाता है। चूंकि अपीलांट का धारा 5 प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम अस्वीकार किया गया है अतः प्रकरण मे आगे गुणावगुण पर विवेचन की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर खारिज की जाती है।

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी के प्रकरण संख्या 74/दावा/2010 मे पारित अंतिम निर्णय व डिकी दिनांक 05.06.2017 यथावत रखी जाती है।

9. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटाई जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 21.02.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी ,कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2021/65

बिशनलाल पुत्र नारायण जाति बैरवा निवासी ग्राम नवलपुरा, तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी(राज0)।

– अपीलांट

बनाम

1. बजरंगलाल पुत्र नारायण जाति बैरवा निवासी नवलपुरा, तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी(राज0)।
2. लड्डू पुत्र जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी नवलपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी(राज0)।
3. बाबू पुत्र जगन्नाथ मृतक के बजाय–

   3/1. कन्या बेवा बाबू निवासी नवलपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी(राज0)।

   3/2. राजेश पुत्र बाबू निवासी नवलपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी(राज0)।

   3/3. देशराज पुत्र बाबू निवासी नवलपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी(राज0)।

   3/4. सुनीता पुत्री बाबू पत्नी प्रहलाद निवासी रमजपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी(राज0)।

   3/5. राजकरन्ता पुत्री पत्नी अमरचन्द बाबू निवासी बाबई तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी(राज0)।
4. बरज्या उर्फ बृजमोहन पुत्र जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी नवलपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी(राज0)।
5. सुरज्या उर्फ सुरजमल पुत्र जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी नवलपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी(राज0)।

6. प्रेमबाई पुत्री जगन्नाथ पत्नी स्व0 गंगाधर जाति बैरवा निवासी स्टार पब्लिक की गली, प्रेमनगर प्रथम, कोटा जिला कोटा(राज0)।
7. मूर्ति बाई पुत्री जगन्नाथ पत्नी गोरधन जाति बैरवा निवासी लाडाहली तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
8. मोत्या बाई (मृतक) बेवा श्री जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी नवलपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी(राज0)। (नाम तर्क किया गया)
9. प्रबंधक, बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सुमेरगंजमण्डी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)।
10. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी(राज0)।

—रेस्पोंडेन्टगण

वाद संख्याः 74/दावा/2010

बजरंगलाल पुत्र नारायण जाति बैरवा निवासी नवलपुरा, तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी(राज0)।

——वादी

बनाम

1. बिशनलाल आत्मज नारायण जाति बैरवा निवासी नवलपुरा, तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी(राज0)।
2. लड्डू आत्मज जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी नवलपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी(राज0)।
3. बाबू आत्मज जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी नवलपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी(राज0)।
4. सुरज्या आत्मज जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी नवलपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी(राज0)।
5. बरज्या आत्मज जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी नवलपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी(राज0)।
6. प्रेमबाई पुत्री जगन्नाथ पत्नी स्व0 गंगाधर जाति बैरवा द्वारा श्री रामकुमार बैरवा निवासी स्टार पब्लिक की गली, प्रेमनगर प्रथम, कोटा जिला कोटा(राज0)।
7. मूर्ति बाई पुत्री जगन्नाथ पत्नी गोरधन जाति बैरवा निवासी लाडाहली तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
8. मोत्या बाई बेवा श्री जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी नवलपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी(राज0)।
9. प्रबंधक, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सुमेरगंजमण्डी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)।

10. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी(राज0)।

—प्रतिवादीगण

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद सख्या 74/दावा/2010 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी द्वारा पारित अंतिम निर्णय एवं डिकी दिनांक 05.06.2017 के विरूद्ध उक्त अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिकी त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः उक्त अपील स्वीकार फरमाई जावे।

2. उक्त अपील तारीख 21.02.2023 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री राजकुमार मीना, एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ओर से श्री प्रेमशंकर गूर्जर अभिभाषक, एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 10 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित होने पर यह आदेश दिया कि अपीलान्ट की उक्त अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय एवं डिकी दिनांक 05.06.2017 बहाल रखी जाता है।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है।

यह डिकी आज तारीख 21.02.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा